PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ले-आउट प्लान (आवासीय प्रयोजनार्थ) खसरा नम्बर 408, 790/408, 791/408, 792/408 ग्राम रंगतालाब उर्फ कालतालाब क्षेत्रफल 15000 वर्गमीटर (Mark- A to H)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 03/07/2024 में लिये गए निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है

PLOT AREA	I.C. BLOCK	PARK/SWM/MT
89834 वर्गफीट	2038 वर्गफीट	9037 वर्गफीट
55.66 प्रतिशत	1.26 प्रतिशत	5.60 प्रतिशत
FACILITY	ROAD	TOTAL
378 वर्गफीट	60113 वर्गफीट	161400 वर्गफीट
0.23 प्रतिशत	37.25 प्रतिशत	100 प्रतिशत

(1) योजना के अंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में भूखण्ड सं0 E-1 से E-11 व E-13 कुल भूखण्ड 12 क्षेत्रफल 12579 वर्गफीट आरक्षित किये जाते है, जिसे नीले रंग से दर्शाया गया है। 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्ड को रहन रखे जाने हेतु मॉर्गेज डीड संपादित करवायें। उक्त भूखण्ड अंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार मुक्त किये जा सकेंगे।

(2) आवेदित भूमि को पहुंच अनुमोदित योजना संतोष नगर की 40 फीट सड़क से उपलब्ध है। अतः उक्त 40 फीट सड़क को विस्तार रखा जाना होगा।

(3) आवेदित भूमि उत्तरी सीमा सहारे खसरा सं0 437 व 487 नै.मु. रास्ता गुजर रहे हैं, जिनकी चौड़ाई क्रमशः 6 मी. व 8 मी. राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बतायी गयी है। उक्त दोनों राजस्व रास्ते एक दूसरे से सटे हुए हैं। उक्त रास्ते का मार्गाधिकार मास्टर प्लान/जोनल प्लान अनुसार 12 मी. निर्धारित है। अतः उक्त रास्ते का मार्गाधिकार 12 मी. अथवा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अथवा मौके पर उपलब्ध, जो भी अधिक हो, रखा जाना होगा।

(4) योजना में मास्टर प्लान/जोनल प्लान की सड़क, राजस्व रास्ते, परिसंचरण, यूजनशिप पालिसी, भवन विनियम, नियोजन आदि की दृष्टि से प्रस्तावित सड़क, सुविधा क्षेत्र, आई.सी. आदि में संशोधन किया जा सकेगा।

(5) यूजनशिप पॉलिसी-2010 एवं समय-समय पर जारी संशोधनों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

(6) योजना में दर्शाए अनुसार पार्क एवं पीयू. रखा जाना अपेक्षित है।

(7) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत् यूजनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।

(8) नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2009 पार्ट IV जयपुर दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है।

(9) नगरीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेशों/दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/संशोधनों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

(10) रास्ता संस्थापन/स्थापना की सीमा से 500 मीटर तक की परिधि क्षेत्र में निर्माणों की स्वीकृति बाबत् रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जावे।

(11) आई.सी. ब्लॉक का पृथक से भवन मानचित्र/विस्तृत मानचित्र अनुमोदन कराया जाना होगा।

(12) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन करवाया जावे।

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

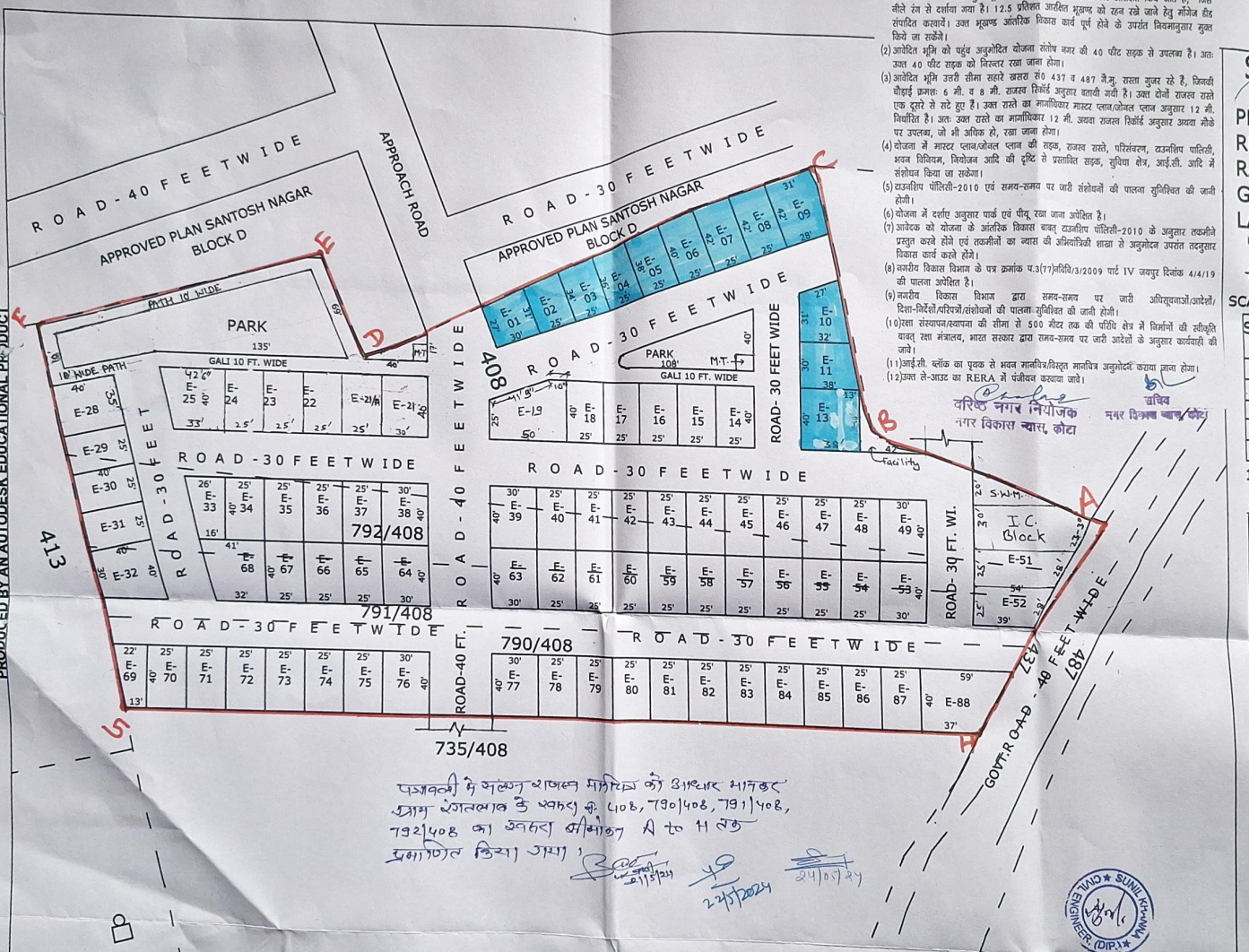

पत्रावली में संलग्न खसरा मानचित्र को आधार मानकर ग्राम रंगतालाब के खसरा नं. 408, 790/408, 791/408, 792/408 का खसरा सीमांकन A to H तक प्रमाणित किया जाया।

01/5/24 24/07/24 24/07/24

SANTOSH NAGAR
BLOCK E
PROPOSED SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S MAP AT RANGTALAB TO MANPURA ROAD GRAM RANGTALAB TEH. LADPURA DISTT.KOTA (RAJ.)

KHASARA NO 408,790/408,791/408,792/408 GRAM RANGTALAB

SCALE = 1"=50'

S.NO.	KH.NO-	AREA IN HACT.	
		IN RECORD	IN SCHEME
1.	408	0.86	0.86
2	790/408	0.32	0.32
3	791/408	0.16	0.16
4	792/408	0.16	0.16
		TOTAL-	1.50 HT

15,000 SQ.MT./1,61,400 2SQ.FT.

~~LAND USE ANALYSIS~~

PARTICULAR	AREA SQ.FT.	AREA%
PLOT AREA	92,470	57.29 %
I.C. block	900	0.56 %
PARK/S.W./MT.	8,655	5.36 %
FACI.BLOCK	378	0.23 %
ROAD	58,997	36.55 %
TOTAL	1,61,400	100.00%

KHASRA BOUNDARY SHOWN THUS

(SIGN OF OWNER)

SUNIL KUMAR CIVIL ENGINEER (DIP.)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT